पंचायती आदेश

1/11/21

पंचायती कक्ष प्रकाशन शाखा के लिए निर्गत
पंचायत खुलना पेश हुई। पंचायती का अभिलेख
पेश खुलना पेश हुई। पंचायती की गयी
स्थित जाय तैत मजोकाम जोकायी की गयी
बीच प्रार्थी द्वारा दाखिल कवाल प्रकाश
दिए 27/7/20 को इस न्यायालय के उपस्थित कर
विपक्षी विपक्षीगण द्वारा की प्रस्तुत प्रार्थना
पत्र 11 माह का समय याचित है गये
के उपरान्त भी विपक्षीगण की तामीली पूर्ण
नहीं करायी है। प्रार्थी विपक्षीगण आरती का
रेकॉर्ड रकतेकार नहीं है। इनका का निर्धारित
वाद पत्र में नाम होगा। विपक्षीगण उदल
आरती के रेकॉर्ड रकतेकार है। रेकॉर्ड रकतेकार
के खिलाफ स्थगन आदेश रखना न्यायालय
उचित नहीं समझती है। अतः इस न्यायालय
द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा दिए 27/7/20 निरस्त
कर प्रार्थी का अस्वीकार कर खारिज किया
जाता है पंचायती निर्णय स्वीकार होकर अपील
खारिज होती

प्रभारी अधिकारी
पंचायत मंत्री के न्यायालय
जिला पंचायत/पंचायत
अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.14 16:25:09 IST
Reason: SelfAttested